न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 04 / 2025 / जैसलमेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
सीता पत्नी रतनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बाहला बस्ती ओला, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर	1. धाई पत्नी नरपतसिंह 2. नरपतसिंह पुत्र हरचन्दसिंह जातियान रावणा राजपूत निवासीयान वाहला वस्ती ओला, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर 3. श्रीमान तहसीलदार महोदय, पोकरण तहसील पोकरण जिला जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पोकरण द्वारा राजस्व वाद संख्या 80 / 2022 बउनवान सीता बनाम धाई वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.01.2025 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री रामस्वरूप भाटी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री पवन सिंहल रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—18.06.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलकर्ता का खेत खसरा संख्या 553 / 208 रकबा 4.8158 हैक्टेयर सरहद मौजा बाहला बस्ती, ओला तहसील पोकरण जिला जैसलमेर में अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त खेत खसरा में अपीलकर्ता का ओपन कुआ खुदा हुआ है तथा अपीलकर्ता काबिज काश्त है। अपीलकर्ता की भूमि से लगोलग दक्षिण दिशा में प्रतिवादी / रेस्पोडेंट धाई पत्नी नरपतसिंह की भूमि खेत खसरा संख्या 552 / 208 रकबा 4.8158 हैक्टेयर की आयी हुई है। रेस्पोडेंट संख्या 01 से 02 माफिक मौका रिपोर्ट दिनांक 30.09.2024 के अनुसार संलग्न युक्त नक्शे अनुसार अपीलकर्ता के तरमीमसुदा भूमि पर रेस्पोडेंट संख्या 01 ने कब्जा किया गया। जिस कारण से हस्तगत वाद पेश करने की आवश्यकता हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन प्रकरण की मूल पत्रावली का अच्छी तरह से अवलोकन करने से साबित है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि द्वारा निर्धारित किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन न कर अपनी मनमर्जी से उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आलोच्य निर्णय केवल मात्र उतरदाता के मौखिक कथनों पर विश्वास करते हुए पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। पैमाईश दिनांक 21.06.2022 व दिनांक 18.07.2022 तथा दिनांक 30.09.2024 को की गई जिसके तहत अपीलकर्ता की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण होना पाया गया, पंच पंचायती में आए लोगों का रेस्पोडेंटगण ने कहना नहीं माना। अपीलकर्ता की भूमि हड़पने की नियत से कृषि विद्युत कनेक्शन अपीलकर्ता की भूमि में शिफ्ट कर अपीलकर्ता के कुएं से सिंचाई शुरू कर दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में न तो तनकीयात कायम की गई ना ही अपीलकर्ता तथा रेस्पोडेंटगण के ब्यानार्थ आदि ही लिये गये। सीधे ही दोनों पक्षों की बहस पश्चात अपने निर्णय में यह प्रतिपादित किया गया कि वाद के तथ्यों तथा प्रतिवादी पक्ष की ओर से दिये गये जबाव तथा हल्का पटवारी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट मय नक्शे पर गौर एवं अवलोकन किया जाकर अपने निर्णय में टंकन किया कि पटवारी की रिपोर्टस से यह जाहिर होता है कि अपीलकर्ता की भूमि के दक्षिणी हिस्से में लगभग 15.10 बीघा भूमि पर रेस्पोडेंटगण अवैध कब्जा किया हुआ है। कब्जे वाली भूमि पर लगभग 2 बीघा की भूमि पर रेस्पोडेंटगण द्वारा टयूबवैल पर अवैध कब्जे से बेदखल किया जाना उचित होगा, यहां तक तो सही लेकिन तत्पश्चात अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने मानवयी नजरिये से रेस्पोडेंटगण द्वारा किये गये निर्माण एवं टयूबवैल को उनके कब्जे में रखना उचित होगा के विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया। अपीलाधीन आराजी पर रेस्पोडेंटगण के कब्जा होने का कोई भी आधार नहीं है और ना ही साबित करवाया गया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी भी पक्षकार को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं हो सकते। हस्तगत वाद घोषणा का नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार से परे जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त अपीलांटस को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित है। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–RRD 1960 Page 89

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी पर हम उत्तरदातागण का कब्जा काश्त होने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद अपने क्षेत्राधिकार में होने से निर्णीत किया गया। न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियां प्राप्त है जिसके तहत अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। वादीनी/अपीलांट द्वारा रातों रात धोरा बनाने का कथन गलत किया है प्रतिवादी कें खेत में धोरा राज्य सरकार की योजना कलस्टर के तहत बना हुआ है। जो कि सरकारी खर्चे से विधिवत रूप से बना है। जो कि ग्राम पंचायत ओला के मार्फत तैयार किया गया था जिसकी डीपीआर जवाब के साथ संलग्न है। हस्तगत वाद के जरिये वादीनी प्रतिवादीगण की भूमि व उनका कुआ हथियाना चाहती है। वादीनी द्वारा प्रतिवादीगण की जमीन हड़पने के उद्देश्य से गलत तरमीम करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात हस्तगत वाद का निर्णय किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अतः अपीलांटस की अपील को खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट/वादी ने हस्तगत वाद को अपने खातेदारी हक अधिकार की भूमि होने का कथन करते हुए पेश किया गया जबकि इस बिंदु का निस्तारण साक्ष्य सबूत के आधार पर ही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांट के खाते में दर्ज भूमि को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए रेस्पोडेंटगण को खातेदारी प्रदान की गई जो विधि

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सम्मत नहीं है। अपीलांट/वादी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पोकरण द्वारा राजस्व वाद संख्या 80/2022 बउनवान सीता बनाम धाई वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.01.2025 अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित मौका दिया जाकर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.08.2025 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

18/6/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 18.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/6/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर